Gazetted Notification Regarding Reservation Policy of State Government of Uttar Pradesh

क्रम संख्या–242

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस डब्लू/एन पी 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू पी – 41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 31 अगस्त, 2002

भाद्रपद 09, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1576/सत्रह–वि–1–1(क)–11–2002

लखनऊ, 31 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 29 अगस्त, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है –

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन)अधिनियम, 2002 कहा जायेगा

(2) धारा 2, धारा 3, के खण्ड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वितीय परन्तुक को छोड़कर धारा 3 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) धारा 4, धारा 5 और धारा 6, 15 सितम्बर 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जायेगें धारा 3 के खण्ड (क) के शेष उपबन्ध, खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग) 25 जून 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है।

(क) धारा–2 में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:–

'(ख) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो' का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है'.

(ख) खण्ड (ख–1), (ख–2), (ख–3) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1), (2), (3), के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात:–

''(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में – इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले मे – दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में – सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पाचस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नही होगा:

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध के उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur
Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur 208024)
www.csjmu.ac.in

English Translation of the relevant portion

Amendment of Section 3	3- Section 3 of the Original Act – (A) Following sub-sections will replace sub-sections (1), (2) and (3), means: - "1- On posts and in public services, direct recruitment of individuals belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward castes, according to the roster for vacancies mentioned in the sub-section 5, following percentage reservation will be applicable: (a) Scheduled caste - twenty one percent (b) Scheduled tribes – two percent (c) Other backward castes – twenty seven percent

Registrar
REGISTRAR
C.S.J.M. UNIVERSITY
KANPUR